प्रेषक,

जे0एस0मिश्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश

आवास अनुभाग–1 लखनऊः दिनाँक–27 मई,2002

विषय : सभावित बाढ़/जल भराव से सुरक्षा हेतु पूर्व तैयारियों एवं तत्सम्बन्धी कार्य योजना।

महोदय,

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद एवं प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की आवासीय योजनाओं में अतिवृष्टि आदि से जल भराव की समस्य के निदान हेतु पूर्व में ही आवश्यक तैयारी के लिए तत्काल निम्न कार्यवाही की जाय :–

(1) आवास विकास परिषद एवं समस्त विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में बाढ़/जल भराव के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाए, तथा सचिव/संयुक्त सचिव/अधिशासी अभियंता स्तर के एक उपयुक्त अधिकारी को इसका प्रभार अधिकारी बनाया जाए। नियंत्रण कक्ष तथा प्रभारी अधिकारी के कार्यालय/आवास के दूरभाष संख्या का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाए। इसकी सूचना शासन को भी उपलब्ध करा दी जाए।

(2) जल निकासी हेतु अवरोधों को दूर किया जाए। परिषद/प्राधिकरणों द्वारा यह भलीभांति सुनिश्चित करा लिया जाए कि उनकी ऐसी योजनाओं में जो नगर निगम/नगर पालिकाओं को हस्तांतरित नहीं हुई है, नाले नालियों की त्वरित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करा ली जाए और जहाँ अतिक्रमण/अनाधिकृत निर्माण/कब्जा आदि से जल निकासी में अवरोध उत्पन्न हो गया है उन अवरोधों को अविलम्ब हटा दिया जाए। इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय प्रशासन/पुलिस प्रशासन का सहयोग भी प्राप्त किया जाए और यथा अपेक्षित सहयोग न मिलने पर इसके शासन के संज्ञान में अविलम्ब लाया जाए।

(3) निचले क्षेत्रों में जल भराव की समस्या से निपटने हेतु पानी की पम्पिंग हेतु पम्पिंग संयत्रों को तत्काल क्रियाशील कर दिया जाए।

(4) निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए :–

(अ) जल भराव के स्थलों का चिन्हांकन।

(ब) यहाँ की पानी की निकासी के लिए पम्पों को स्थापित कर दिया जाना एवं इनकी सर्विसिंग/ओवरहाल पूरा कर लिया जाना।

(स) इन पर कार्मिकों की शिफ्टवार नियुक्ति कर लिया जाना।

(द) जल भराव के स्थलों के नालों/सपवेलों आदि की सफाई तथा विसंक्रमण के लिए कीटनाशकों का तत्काल छिड़काव तथा आगे के लिए उचित मात्रा में कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

(य) जल भराव के स्त्रोतों को बन्द करने के लिए संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में बोरियां, बालू पहले ही एकत्रित कर लिया जाना।

(र) प्रभावित क्षेत्रों में पहले से संक्रामक रोगों के बचाव के लिए रोग निरोधक टीकों आदि की व्यवस्था।

5. उक्त समस्त बिन्दुओं पर परिषद/प्राधिकरणों द्वारा प्रत्येक दशा में 20 जून 2002 तक कार्यवाही सुनिश्चित करा ली जाए। प्राधिकरण स्तर पर सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव की देखरेख में अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता के नेतृत्व में अधिकारियों की निरीक्षण समिति गठित की जाए, ताकि वे इसका भौतिक सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट दे सकें। इसी प्रकार आवास विकास परिषद के मामलों में सचिव/संयुक्त आवास आयुक्त की देखरेख में अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता के नेतृत्व में भी निरीक्षण समिति गठित की जाए।

6. शासन द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों का अनुपालन एक निश्चित समयसारिणी के अनुसार समयबद्ध कार्यवाही के अन्तर्गत सुनिश्चित कराया जाए एवं कृत कार्यवाही की पाक्षिक रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जाए। इसमें किसी प्रकार, किसी स्तर पर की गयी शिथिलता क्षम्य न होगी एवं इसे सुनिश्चित करने के लिए आवास विकास परिषद एवं प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में उत्तरदायित्व के स्तर लिखित रूप से निर्धारित किए जाए एवं पाक्षिक समीक्षा सुनिश्चित की जाए। प्रकरण को महत्तम गम्भीरता प्रदान की जाए।

भवदीय,
जे0एस0मिश्र
सचिव।

संख्या : 2065 (1)9–आ–1–02–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी।
5. समस्त मुख्य नगर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

टी0पी0पाठक
विशेष सचिव।